न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, अटरू जिला बारां (राज.)

पीठासीन अधिकारीः— दिनेश कुमार मीणा आर.ए.एस.

प्रकरण सं0 111 / 2016 **दायर दिनांकः 10.06.2016**

उनवान

1. बिरधीलाल उम्र 65 वर्ष पुत्र मांगीलाल जाति बैरवा निवासी कराडिया गुल्जी तहसील अटरू जिला बारां (राज0)

वादी

बनाम

1. मथुरालाल उम्र 55 वर्ष पुत्र कवरया जाति चमार निवासी कराडिया गुल्जी
2. मोहनलाल उम्र 50 वर्ष पुत्र कवरया जाति चमार निवासी कराडिया गुल्जी तहसील अटरू जिला बारां राज0।
3. राजस्थान सरकार तर्ये तहसीलदार साहब अटरू तह0 अटरू जिला बारां (राज0)।

प्रतिवादीगण

वाद बाबत इन्द्राज दुरूश्ती
वाद अन्तर्गत धारा 88, 89, 183, 188 आर. टी. एक्ट.

उपस्थिति :—
वादीया :— विद्वान अभिभाषक श्री मोहनलाल सुमन
प्रतिवादी :— विद्वान अभिभाषक श्री विनोद प्रताप सिंह प्रतिवादी क्रम 1 व 2

निर्णय दिनांक 12 / 12 / 2022

पत्रावली पेश हुई। वकील उभय पक्ष उपस्थित। संक्षिप्त में प्रकरण इस प्रकार से है कि वादी ने यह दावा अर्न्तगत धारा 88, 89, 183, 188 आर0 टी0 एक्ट0 का इस आशय का पेश किया है कि ग्राम एवं माल कराडिया गुल्जी तहसील अटरू में पुराना ख0नं0 12 की सरकारी आराजी स्थित थी जिसमें से वादी को दिनांक 25.05.76 को ख0नं0 12 में से 7 बीघा जमीन आवंटन हुई थी। इसी तरह से प्रतिवादी क्रम 1, 2 के पिता कंवरया को भी ख0नं0 12 में से 3 बीघा 1 बिस्वा आराजी आंवटन हुई थी। नकल जमाबन्दी संवत 2035 से 2038 तथा मिलान क्षेत्रफल, पुराना नक्शा ट्रेस नया नक्शा ट्रेस तथा नवीन जमाबन्दी वाद पत्र के साथ में संलग्न है जो काबिल गौर है। दौराने सेटलमेन्ट प्रतिवादी क्रम 3 के कर्मचारियों द्वारा बन्दोबस्त करते समय वादी के खाते की आराजी ख0नं0 12 का रकबा 7 बीघा का नवीन ख0नं0 29 का रकबा 0.63 है0 बनाया है जबकि पुराने रकबे के मुताबिक 1.14 है0 आराजी खाते दर्ज होना चाहिए थी जिस पर वादी काबिज काश्त

हें इसी तरह से प्रतिवादी क्रम 1, 2 के पिता कंवरया के भी 3 बीघा 1 बिस्वा भूमि आवंटन हुई थी तो उसके खाते में 0.49 है0 भूमि दर्ज होना चाहिए थी जिसके स्थान पर उसके खाते ख0नं0 25 का रकबा 0.56 है0 तथा ख0नं0 28 का रकबा 0.38 है0 दर्ज कर दी, इसी तरह से प्रतिवादी क्रम 1, 2 के सेटलमेन्ट के कर्मचारियों ने 0.45 है0 आराजी अधिक खाते दर्ज कर दी गई जबकि मौके पर वादी पूरे रकबे 1.14 है0 पर काबिज काश्त है। वादी वर्तमान में ख0नं.0 29 का रकबा 0.63 है0, ख0नं0 28 का रकबा 0.38 है0, ख0नं0 25 का रकबा 0.07 है0, तथा ख0नं0 27 का रकबा 0.06 है0 पर काबिज काश्त है। वादी ने मौके पर जाकर नाप तौल किया तो वादी वर्तमान में पूरे रकबे 1.14 है0 अर्थात 7 बीघा पुराने रकबे पर दखल दिया गया था जिस पर वादी काबिज है ओर वादी उक्त 1.14 है0 आराजी को शान्ति पूर्वक काश्त करता चला आ रहा है कि दिनांक 14.03.2016 को प्रतिवादी क्रम 1, 2 को उक्त वादी के खाते में कम हुये रकबे की तथा स्वयं के खाते में अधिक रकबा दर्ज होने की जानकारी प्राप्त होने के बाद से प्रतिवादी क्रम 1, 2 वादी को बेदखल करने की धमकी दे रहे है और दिनांक 30.05.2016 को प्रतिवादी क्रम 1, 2 ने कहा कि हमारे खाते की जमीन को तो हम ही काश्त करेंगे, नही ंतो मुनाफा लेगें। बिना सहायता न्यायालय प्रतिवादी क्रम 1, 2 को उनके द्वारा किये जा रहे अवेधानिक एवं गैर कानूनी कृत्य से रोका जाना संभव नहीं है अगर प्रतिवादी क्रम 1, 2 अपने अवैधानिक एवं गैर कानूनी कृत्य से रोका जाना संभव नहीं है अगर प्रतिवादी क्रम 1, 2 अपने अवैधानिक एवं गैर कानूनी कृत्य में सफल हो गये ओर वादी के स्वामित्व एवं कब्जे काश्त की आराजी पर जबरन कब्जा कर लिया तो वादी अपने स्वामित्व एवं कब्जे काश्त की आराजी से वंचित हो जावेगा जिससे वादी को अपरिमित क्षति होगी जिसकी पूर्ति बाद में अन्य प्रकार से होना संभव नहीं हे। इस वजह से वादी इन्द्राज दुरूश्ती करते हुये पुराने रकबे के मुताबिक वादी के नवीन ख0नं0 28 का रकबा 0.38 है0, ख0नं0 25 का रकबा 0.07 है0, ख0नं0 27 का रकबा 0.06 है0 जिससे वादी का पूरा रकबा 1.14 है. हो सके जिस पर वादी काबिज काश्त है को वादी के खाते दर्ज किया जावे तथा जर्ये स्थायी निषेधाज्ञा से प्रतिवादी क्रम 1 , 2 को पाबन्द फरमाया जावे कि वे वादी को उसके स्वामित्व एवं कब्जे काश्त की आराजी को शान्तिपूर्वक काश्त करने देवे, अगर दौराने वाद प्रतिवादी क्रम 1, 2 वादी के कब्जे काश्त एवं स्वामित्व की आराजी पर जबरन कब्जा कर लेवे तो उनहे बेदखल करके कब्जा वादी को दिलाया जावे। वाद कारण प्रथम दिनांक 14.03.2016 को वादी के कम हुये रकबे की तथा अपने खाते में अधिक रकबा दर्ज होने की जानकारी प्रतिवादीगण को मिलने पर तथा अन्तिम बार दिनांक 30.05.2016 को वादी के स्वामित्व एवं कब्जे काश्त की आराजी पर जबरन कब्जा करके काश्त करने की धमकी देने पर माननीय न्यायालय के

सीमा क्षेत्र में उत्पन्न हुआ। वादी द्वारा राजस्थान सरकार जर्ये जिला कलेक्टर महोदय बारां को रजिस्टर्ड नोटिस अन्तर्गत धारा 80 जा0दी0 मियादी दो माह प्रेषित करवा दिया है लेकिन प्रतिवादी क्रम 1, 2 जबरन वादी के स्वामित्व एवं कब्जे काश्त की आराजी पर कब्जा करने पर आमादा है। अगर वादी द्वारा नोटिस अवधि दो माह समाप्त होने का इन्तजार किया गया और इस अवधि के दौरान प्रतिवादी क्रम 1, 2 द्वारा जबरन वादी के स्वामित्व एवं कब्जे काश्त की आराजी पर कब्जा कर लिया तो वादी द्वारा बाद में वाद पेश करने का महत्व ही समाप्त हो जावेगा, इस वजह से वादी का वाद अवश्यक प्रकृति का होने से नोटिस की अवधि समाप्त होने से पूर्व ही धारा 80(2) जा0दी0 के प्रार्थना पत्र के साथ माननीय न्यायालय में वाद पत्र प्रस्तुत किया जा रहा है, वादी का प्रार्थना पत्र के साथ माननीय न्यायालय में वाद पत्र प्रस्तुत किया जा रहा है, वादी का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर वाद की सुनवाई की जावे। विवादग्रस्त आराजी वाके ग्राम एवं माल कराडिया गुल्जी तहसील अटरू में स्थित है जिसका क्षैत्राधिकार तथा श्रवणाधिकार माननीय न्यायालय को प्राप्त है। राजस्थान सरकार भूमिधारी है तथा वाद घोषणा इन्द्राज दुरूस्ती का होने से तथा आराजी प्रतिवादी क्रम 3 के खाते में भी दर्ज है इस वजह से उक्त वाद में राजस्थान सरकार के प्रतिनिधि तहसीलदार साहब तहसील अटरू को प्रतिवादी क्रम 3 आवश्यक पक्षकार दर्ज किया गया है। वाद राजस्थान टिनेन्सी एक्ट के तृतीय परिशिष्ट के मुताबिक उचित न्याय शुल्क पर पेश है। वाद अवधि मध्य तथा उचित न्याय शुल्क पर पेश है जो माननीय न्यायालय द्वारा सुने जाने योग्य है। अतः वादी माननीय न्यायालय में वाद पत्र बाबत इन्द्राज दुरूश्ती पेश कर निवेदन करता है कि डिक्री बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादी क्रम 1 लगायता 3 निम्न आशय की पारित की जावे किः—

(अ) इन्द्राज दुरूश्त करते हुये प्रतिवादी क्रम 1 लगा 3 के खाते की आराजी ख0नं0 28 का रकबा 0.38 है0, ख0नं0 25 का रकबा 0.07 है0, ख0नं0 27 का रकबा 0.06 है0 वाके ग्राम एवं माल कराडिया गुल्जी तहसील अटरू के खाते में से कम करके उक्त आराजी जिस पर वादी काबिज काश्त है वादी के खाते दर्ज की जावे। जिससे वादी का 7 बीघा के बराबर 1.14 है0 रकबा पूरा हो सके।

(ब) प्रतिवादी क्रम 1 लगा 3 को जर्ये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावे कि वे वादी को उसके स्वामित्व एवं कब्जे काश्त की आराजी को शान्तिपूर्वक काश्त करने देवे, अगर दौराने वाद प्रतिवादीगण वादी को उसके स्वामित्व एवं कब्जे

काश्त की आराजी पर जबरन कब्जा कर लेवे तो उन्हे बेदखल करके कब्जा वादी को दिलाया जावे।

(स) अन्य न्यायोचित सहायता जो माननीय न्यायालय उचित समझे वादीया को प्रदान की जावें।

2. प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया तथा प्रतिवादीगण की तलबी जर्ये सम्मन की गई। प्रतिवादी क्रम 1 व 2 द्वारा जवाब दावा पेश कर कथन किया गया कि वाद पत्र की मद नं0 1 स्वीकार है। वाद पत्र की मद नं0 2 अस्वीकार है अपितु कथन है कि ख0नं0 29 की 0.63 है0 भूमि वादी के खाते दर्ज थी। लेकिन शेष रकबा कहां गया, किस किश्म में दर्ज किया, यह वादी को बताना होगा। क्योंकि शेष रकबा प्रतिवादीगण के पास नहीं है। प्रतिवादी को आवंटन हुआ रकबा ही है। प्रतिवादीगण आवंटन के समय से काश्त करते चले आ रहे है। वाद पत्र की मद नं0 3 अस्वीकार है। वादी द्वारा प्रस्तुत वाद गलत तथ्यों पर आधारित होने से खारिज होने योग्य है। वाद पत्र की मद नं0 4 अस्वीकार हे कोई वाद कारण उत्पन्न नहीं हुआ। वाद पत्र की मद नं0 5 जिस प्रकार लिखी गई है, अस्वीकार है। वाद पत्र की मद नं0 6 कानूनी है। वाद पत्र की मद नं0 7 कानूनी है। वाद पत्र की मद नं0 8 कानूनी है। वाद पत्र की मद नं0 **9** कानूनी है। अनुतोष वादी अस्वीकार है। अतः माननीय न्यायालय में जवाब दावा प्रस्तुत कर निवेदन है कि वादी का वाद मय खर्चा खारिज फरमाया जावे।

प्रतिवादी क्रम 3 पेरोकार सरकार द्वारा जवाब दावा पेश नहीं करने के कारण जवाब दावा बन्द किया गया।

3. प्रकरण में दावा व जवाब दावा के आधार पर निम्न तनकीयात कायम की जाती है–

तनकी नं0 1–आया वादी के ग्राम एवं माल कराडिया गुल्जी में पुराना ख0नं0 12 का रकबा 7 बीघा का नवीन ख0नं0 29 का रकबा 0.63 है0 बनाया है जबकि पुराने रकबे के मुताबिक 1.14 है0 खाते दर्ज होना चाहिये था जिस पर वादी काबिज काश्त है।

वादी

तनकी नं0 2– आया प्रतिवादी क्रम 1, 2 के पिता कवरया ख0नं0 12 का रकबा 3 बीघा 1 बिस्वा पुराने ख0नं0 की थी जिसका बाद सेटलमेन्ट रकबा 0.49 है0 दर्ज होनी चाहिऐ थी जिसके स्थान पर

प्रतिवादी क्रम 1, 2 के ख0ं0 25 का रकबा 0.56 है0, ख0नं0 28 का रकबा 0.38 है0 आराजी दर्ज कर दी तथा ख0नं0 27 का रकबा 0.07 है0 भी दर्ज कर दी।

वादी

तनकी नं0 3– आया सेटलमेन्ट के कर्मचारियों ने वादी के खाते में से 0.51 है0 आराजी कम करके प्रतिवादी क्रम 1, 2 के ख0नं0 25, 27, 28 में 0.52 है0 आराजी अधिक दर्ज करदी जिसको वादी दुरूस्त करवाकर 0.52 है0 आराजी अपने नाम राजस्व रिकार्ड खाता दर्ज करा पाने का अधिकारी है।

वादी

तनकी नं0 4– आया प्रतिवादी क्रम 1, 2 के सेटलमेन्ट ने वादी के खाते की आराजी खाते दर्ज नहीं की बल्कि वे आवंटन के समय से ही प्रतिवादी क्रम 1 व 2 अपने खाते की आराजी को काश्त करते चले आ रहे है।

प्रतिवादीगण

तनकी नं0 5–दादरसी

4. साक्ष्यवादी के तहत पी0डब्ल्यू 1 बिरधीलाल पुत्र मांगीलाल जाति बैरवा निवासी कराडिया गुल्जी तहसील अटरू जिला बारां राज0 का शपथ पत्र पेश किया गया तथा सशपथ गवाह बयान दर्ज किये गये। साक्ष्यवादी ने कथन किया कि ग्राम एवं माल कराडिया गुल्जी तहसील अटरू में मेरे दिनांक 25.05.1976 को पुराना ख0नं0 12 की 7 बीघा जमीन आवंटन हुई थी। इसी तरह से प्रतिवादी क्रम 1, 2 के पिताजी कंवरया को भी पुराना ख0नं0 12 की 3 बीघा 1 बिस्वा आराजी आंवटन हुई थी जो हमारे कब्जे काश्त में थी और है लेकिन सेटलमेन्ट करते समय सेटलमेन्ट कर्मचारियों ने पुराना ख0नं0 12 का रकबा 7 बीघा का नवीन ख0नं0 29 का रकबा 0.63 है0 ही बनाकर करीब 0.51 है0 आराजी मेरे खाते में कम कर दी लेकिन उक्त आराजी जो मेरे कम हुई हे उस पर मैं काबिज काश्त हूं। इसी तरह से प्रतिवादी क्रम 1, 2 के पिता कंवरया के 3 बीघा 1 बिस्वा आराजी आवंटन हुई थी तो उनके खाते में 0.49 है0 आराजी दर्ज होनी चाहिए थी और मेरे खाते में कुल 1.14 है0 आराजी खाते दर्ज होनी चाहिए थी लेकिन प्रतिवादीगण के खाते में 0.49 है0 के स्थान पर ख0नं0 25 का रकबा 0.56 है0, ख0नं0 28 का रकबा 0.38 है0 दर्ज करके 0.45 है0 आराजी अधिक दज्र कर दीं मैं अभी वर्तमान में ख0नं0 29 का रकबा 0.63 है0, ख0नं0 28 का रकबा 0.38 है0, ख0नं0 25 का रकबा 0.07 है0 तथा ख0नं0 27 का रकबा 0.06 है0 पर काबिज काश्त हूॅ। इस तरह से सेटलमेन्ट की गलती को दुरूस्त करते हुये जिस रकबे पर मैं काबिज काश्त हूॅ वह रकबा मेरे खाते दर्ज किया जावे अर्थात मेरे आराजी पूरी 1.14 है0 जिस पर मैं काबिज हूं खाते दर्ज की

जावे तथा प्रतिवादी क्रम 1, 2 के खाते से 0.45 है0 आराजी कम करके मेरे खाते दर्ज की जावे तथा ख0नं0 27 का रकबा 0.06 है0 भी मेरे खाते दर्ज की जावे जिसमें मेरे तथा प्रतिवादीगण के पुरे के रिकार्ड के मुताबिक आराजी खाते दज्र हो सके। इस वजह से मेरे द्वारा पेश वाद पत्र डिक्री किया जाकर राजस्व रिकार्ड में इन्द्राज सही किया जावे।

5. अभिभाषक वादी एवं अभिभाषक प्रतिवादी क्रम 1 व 2 की बहस सुनी। पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रकरण का उपलब्ध रिकार्ड, मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्यों के आधार पर तनकीवार निर्णय निम्न प्रकार किया जाता है–

<u>तनकी नं0 1–</u> आया वादी के ग्राम एवं माल कराडिया गुल्जी में पुराना ख0नं0 12 का रकबा 7 बीघा का नवीन ख0नं0 29 का रकबा 0.63 है0 बनाया है जबकि पुराने रकबे के मुताबिक 1.14 है0 खाते दर्ज होना चाहिये था जिस पर वादी काबिज काश्त है। इस तनकी को साबित करने का भार वादी पर था। अभिभाषक वादी द्वारा बहस के दौरान कथन किया गया कि वादी को ग्राम कराडियागुल्जी में पुराने ख0नं0 12 किस्म सिवायचक में से 7 बीघा भूमि दिनांक 25.07.1976 को आवंटन हुई थी। इसी पुराने ख0न0ं 12 में से 3 बीघा 1 बिस्वा भूमि प्रतिवादी क्रम 1 व 2 के पिता कंवरया चमार को दिनांक 25.06.1976 को आवंटन हुई थी। आवंटन के समय से ही वादी आवंटित भूमि 7 बीघा पर कब्जे काश्त चले आ रहा है। सेटलमेन्ट के दौरान सेटलमेन्ट विभाग के कार्मिकों द्वारा वादी के स्वामित्व व कब्जे की उक्त आराजी का नवीन ख0नं0 29 बनाकर रकबा 0.63 है0 दर्ज किया गया जबकि 7 बीघा का रकबा 1.14 हे0 दर्ज किया जाना चाहिए था। इस प्रकार सेटलमेन्ट विभाग के कार्मिकों द्वारा वादी के स्वामित्व व कब्जे काश्त की 7 बीघा भूमि का नया रकबा 1.14 है0 की जगह 0.63 है0 बनाकर रकबा 0.51 है0 कम रकबा दर्ज किया गया।

इसी प्रकार प्रतिवादीगण के स्वामित्व व कब्जे की 3 बीघा 1 बिस्वा आराजी का नया ख0नं0 25 रकबा 0.56 है0 व ख0नं0 28 रकबा 0.38 हे0 कुल किता 2 कुल रकबा 0.94 है0 बनाया गया जो कि मूल रकबे से 0.45 है0 ज्यादा है। इस प्रकार वादी का रकबा 0.51 हे0 कम दर्ज किया गया और पडौसी प्रतिवादीगण का रकबा 0.45 है0 अधिक दर्ज किया गया है जिसका सेटलमेंट विभाग के कार्मिकों को कोई अधिकार नहीं था। अतः वादी का रकबा 0.63 है0 से दुरूस्त कर 1.14 है0 खाते दर्ज किया जावे।

अभिभाषक प्रतिवादीगण द्वारा अभिभाषक वादी की बहस पर कोई आपत्ति पेश नहीं कर कथन किया कि वादी व प्रतिवादीगण की विवादित आराजी का रकबा सेटलमेंट से पूर्व के रिकार्ड व मौका कब्जे के अनसार निर्धाति की जावे।

अभिभाषक वादी द्वारा कथन किया गया कि प्रतिवादी क्रम 1 ता 3 ने वादी को उसके स्वामित्व व कब्जे काश्त की आराजी जबरन बेदखल नहीं करें। अभिभाषक प्रतिवादी क्रम 1 व 2 ने वादी की स्वामित्व की आराजी पर कोई कब्जा नहीं करने पर सहमति व्यक्त की।

अभिभाषक वादी एवं अभिभाषक प्रतिवादीगण की बहस के परिपेक्ष्य में पत्रावली का अवलोकन किया गया। ग्राम कराडिया गुल्जी की जमाबंदी संवत 2035–38 प्रदर्श पी3 के अवलोकन से स्पष्ट है कि ग्राम कराडियागुल्जी की आराजी साबिक ख0नं0 12 में से 7 बीघा आराजी जरिये नामा0 संख्या 61 दिनांक 25.05.1976 वादी बिरधीलाल पुत्र मांगीलाल जाति बैरवा के गैर खातेदारी दर्ज हुई थी। इसी प्रकार जमाबंदी संवत 2035–38 प्रदर्श पी 4 के अवलोकन से स्पष्ट है कि इसी साबिक ख0नं0 12 में से 3 बीघा 1 बिस्वा आराजी प्रतिवादीगण के पिता कंवरया जाति चमार को आंवटन हुई थी जो जरिये नामान्तरण संख्या 77 दिनांक 25.06.1976 गेर खातेदारी दर्ज हुई थी। ग्राम कराडिया गुल्जी के भू प्रबंध विभाग के मिलान क्षेत्रफल प्रदर्श पी 7 से स्पष्ट है कि साबिक ख0नं0 12 मि0 रकबा 7 बीघा की 3 प्रविष्टीयां है। प्रथम प्रविष्टी अनुसार साबिक ख0नं0 12 मि0 रकबा 7 बीघा का नया ख0नं0 26 रकबा 0.96 है0, ख0नं0 27 रकबा 0.06 है0 एवं ख0नं0 28 रकबा 0.38 है0, द्वितीय प्रविष्टी अनुसार साबिक ख0नं0 12 मि0 रकबा 7 बीघा का नया ख0नं0 29 रकबा 0.63 है0 तथा तृतीय प्रविष्टी अनुसार साबिक ख0नं0 12 मि0 रकबा 7 बीघा का नया ख0नं0 30 रकबा 0.86 है0 बनाये गये है। **इसी प्रकार साबिक ख0नं0 12 रकबा 3 बीघा 1 बिस्वा का नया ख0नं0 25 रकबा 0.56 हे0 बनाया गया है। मिलान क्षेत्रफल प्रदर्श पी 7 के अवलोकन से जाहिर हे कि वर्तमान में प्रतिवादीगण के गैर खाते दर्ज हाल ख0नं0 28 रकबा 0.38 है0 साबिक ख0नं0 12 मि0 रकबा 3 बीघा 1 बिस्वा से नहीं बनाकर, साबिक ख0नं0 12 मि0 रकबा 7 बीघा से बनाया गया है।** ग्राम कराडियागुल्जी की हाल जमाबंदी संवत 2074–77 के अनुसार हाल ख0नं0 29 रकबा 0.63 है0 वादी बिरधीलाल पुत्र मांगीलाल जाति बैरवा की खातेदारी में दर्ज है जबकि ख0नं0 25 रकबा 0. 56 है0 व ख0नं0 28 रकबा 0.38 है0 कुल किता 2 कुल रकबा 0.94 है0 प्रतिवादी क्रम 1 व 2 की गैरखातेदारी में दर्ज है। हाल ख0नं0 28 रकबा 0.38 है0 प्रतिवादी क्रम 1 व 2 की गैर खातेदारी में कैसे दर्ज हुआ है स्पष्ट नहीं है। इसी प्रकार हाल ख0नं0 27, 28 व 30 किन्ही अन्य व्यक्तियों के खाते दर्ज है। इस संबंध में साक्ष्यवादी पी0डब्लयू 1 के बयानों का भी अवलोकन किया गया। वादी द्वारा ऐसा कोई दस्तावेजी साक्ष्य पेश नहीं किया गया है जिसके आधार पर यह साबित हो सके कि वादी मौके पर आज भी 7 बीघा यानी 1.14 है0 आराजी पर कब्जा काश्त है।

उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर स्पष्ट है कि वादी की गैर खातेदारी में दर्ज आराजी साबिक ख0नं0 12 मि0 रकबा 7 बीघा का सेटलमेन्ट के बाद नवीन रकबा 1.12 है0

बनाया जाना चाहिए था लेकिन 0.63 है0 दर्ज किया गया जो मूल रकबे से करीब 0.49 है0 कम है लेकिन यह साबित नहीं है कि वादी वर्तमान में मौके पर 7 बीघा यानी 1.12 है0 पर कब्जा काश्त है। **अतः तनकी नं0 1 आंशिक रूप से वादी के पक्ष में निर्णित की जाती है।**

तनकी नं0 2– आया प्रतिवादी क्रम 1, 2 के पिता कवरया ख0नं0 12 का रकबा 3 बीघा 1 बिस्वा पुराने ख0नं0 की थी जिसका बाद सेटलमेन्ट रकबा 0.49 है0 दर्ज होनी चाहिऐ थी जिसके स्थान पर प्रतिवादी क्रम 1, 2 के ख0ं0 25 का रकबा 0.56 है0, ख0नं0 28 का रकबा 0.38 है0 आराजी दर्ज कर दी तथा ख0नं0 27 का रकबा 0.07 है0 भी दर्ज कर दी। ग्राम कराडियागुल्जी के भू प्रबंध विभाग के मिलान क्षेत्रफल प्रदर्श पी7 के अवलोकन से जाहिर होता है कि साबिक ख0नं0 12 मि0 रकबा 3 बीघा 1 बिस्वा का नया ख0नं0 25 रकबा 0.56 हे0 बनाया गया है जबकि रकबा 0.49 है0 दर्ज किया जाना चाहिए था अर्थात प्रतिवादी क्रम 1 व 2 के खाते 0.07 है0 भूमि अधिक दर्ज की गई है। हाल ख0नं.0 2 रकबा 0.38 है0 साबिक ख0नं0 12 मि0 रकबा 7 बीघा से बनाया गया हैं। इसी साबिक ख0नं0 12 मि0 रकबा 7 बीघा से 2 अन्य ख0नं 26 व 27 बनाये गये है । हाल में ख0नं0 26 रकबा 0.96 है0 चौथमल व रामप्रसाद पुत्रान केशरीलाल के गैर खातेदारी में दर्ज हैं जबकि ख0नं0 27 किस्म बंजड रकबा 0.06 है0 सरकार के खाते दर्ज है। अतः पेश मिलान क्षेत्रफल प्रदर्श पी 7 एवं हाल जमाबंदी संवत 2074–77 के अवलोकन से स्पष्ट है कि हाल ख0नं0 28 रकबा 0.38 है0 सेटलमेन्ट के दौरान साबिक ख0नं0 12 मि0 रकबा 3 बीघा 1 बिस्वा से नहीं बनाकर, साबिक ख0नं0 12 मि0 रकबा 7 बीघा से बनाया गया है। यह प्रतिवादी क्रम 1 व 2 की गैरखातेदारी में कैसे दर्ज हुआ है साक्ष्य के अभाव में स्पष्ट नहीं है। **अतः तनकी नं0 2 वादी के विरूद्ध निर्णित की जाती है।**

तनकी नं0 3– आया सेटलमेन्ट के कर्मचारियों ने वादी के खाते में से 0.51 है0 आराजी कम करके प्रतिवादी क्रम 1, 2 के ख0नं0 25, 27, 28 में 0.52 है0 आराजी अधिक दर्ज कर दी जिसको वादी दुरूस्त करवाकर 0.52 है0 आराजी अपने नाम राजस्व रिकार्ड खाता दर्ज करा पाने का अधिकारी है। इस तनकी को साबित करने का भार वादी पर था। तनकी नं0 1 व 2 में किये गये विश्लेषण के आधार पर यह साबित है कि वादी के खाते की आराजी रकबा 7 बीघा सेटलमेंट के बाद 0.63 है0 दर्ज किया गया है जबकि यह 1.12 है0 दर्ज होना चाहिए था। यहां यह देखना महत्वपूर्ण है कि वादी के आराजी के रकबे में आई करीब 0.49 है0 की कमी आस पास के किस खसरा नंबर में बढाई गई है ? वादी द्वारा पेश भू प्रबंध विभाग के मिलान क्षेत्रफल प्रदर्श पी 7 के अवलोकन से जाहिर होता है कि हाल ख0नं0 25 रकबा 0.56 है0 साबिक ख0नं0 12 मि0 रकबा 3 बीघा 1 बिस्वा

से बनाया गया है जिसका रकबा करीब 0.07 है0 अधिक दर्ज है। इसी प्रकार हाल ख0नं0 26, 27, 28 कुल किता 3 कुल रकबा 1.4 है सेटलमेंट के दोरान साबिक ख0नं0 12 मि0 रकबा 7 बीघा से बनाये गये है अर्थात सेटलमेंट के बाद करीब 0.28 है0 रकबा बढाया गया है। ग्राम कराडियागुल्जी की वर्तमान संवत 2074–77 के अनुसार हाल ख0नं0 25 व 28 प्रतिवादी क्रम 1 व 2 की गैरखातेदारी में दर्ज है व ख0नं0 27 रकबा 0.07 है0 प्रतिवादी क्रम 3 सरकार के खाते दर्ज है।

वादी की आराजी खातेदारी में दर्ज है जबकि प्रतिवादी क्रम 1 व 2 की आराजी ख0नं0 25 व 28 गैर खातेदारी में दर्ज है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के अनुसार गैर खातेदार को खातेदारी दर्ज होने तक कृषि कार्य के अलावा अन्य कोई अधिकार नहीं होता है। अन्य सभी अधिकार राज0 सरकार में निहित होते है। अतः वादी, गैर खातेदार प्रतिवादी क्रम 1 व 2 के विरूद्ध कोई अनुतोष प्राप्त नहीं कर सकता है। वादी द्वारा पेश ग्राम कराडियागुल्जी के हाल नजरी नक्शा प्रदर्श पी 6 के अनुसार वादी के हाल ख0नं0 29 के उत्तर में ख0नं0 27, पूर्व में ख0नं0 25, दक्षिम में ख0नं0 30 व अन्य राजस्व ग्राम की भूमि, एवं पश्चिम में ख0नं0 28 स्थित है। वादी द्वारा कोई ऐसा **दस्तावेज/मौका मजिस्ट्रेट रिपोर्ट** पेश नहीं किया है जिससे यह साबित होता हो कि वादी मौके पर लम्बे समय से आवंटन अनुसार 7 बीघा यानी 1.12 है0 पर कब्जा काश्त चला आ रहा है। अतः वादी यह साबित करने के विफल रहा है कि उसका घटा हुआ रकबा 0.49 है0 किस खसरे नंबर में बढाया गया है। **अतः तनकी नं0 3 आंशिक रूप से वादी के पक्ष में निर्णित की जाती है।**

तनकी नं0 4– आया प्रतिवादी क्रम 1, 2 के सेटलमेन्ट ने वादी के खाते की आराजी खाते दर्ज नहीं की बल्कि वे आवंटन के समय से ही प्रतिवादी क्रम 1 व 2 अपने खाते की आराजी को काश्त करते चले आ रहे है। इस तनकी को साबित करने का भार प्रतिवादीगण पर था। वादी द्वारा पेश ग्राम कराडिया गुल्जी की जमाबंदी संवत 2035–38 प्रदर्श पी 4 के अनुसार साबिक ख0नं0 12 मि0 रकबा 3 बीघा 1 बिस्वा प्रतिवादी क्रम 1 व 2 के पिता कंवरया जाति चमार को आंवटन नामान्तरण 77 दिनांक 25.06.1976 से गैर खातेदारी में प्राप्त हुई है। हाल ख0नं0 28 रकबा 0.38 है0 सेटलमेंट से पहले साबिक ख0नं0. 12 मि0 रकबा 7 बीघा से बना है जो किसी अन्य की गैरखातेदारी/खातेदारी में प्रतित होता है लेकिन सेटलमेंट के बाद ख0नं0 28 प्रतिवादी क्रम 1 व 2 की गैर खातेदारी में केसे दर्ज हुआ– यह पर्याप्त साक्ष्यों के अभाव में साबित नहीं है। यह साबित है कि हाल ख0नं0 25 रकबा 0.56 है0 को प्रतिवादी क्रम 1 व 2 को राज्य सरकार के आवंटन द्वारा प्राप्त हुआ है लेकिन ख0नं0 28 रकबा 0.38 है0 कैसे प्राप्त हुआ स्पष्ट नहीं है। **अतः तनकी नं0 4 आंशिक रूप से प्रतिवादी क्रम 1 व 2 के पक्ष में निर्णित की जाती है।**

6. अभिभाषक वादी व प्रतिवादी क्रम 1 व 2 ने एक दूसरे के स्वामित्व व कब्जे की आराजी पर कब्जा नहीं करने पर सहमति दी है। अतः यदि प्रतिवादी क्रम 1 ता 3 ने वादी के स्वामित्व की आराजी पर जबरन कब्जा कर रखा है तो प्रतिवादी क्रम 1 ता 3 अतिक्रमी होने से धारा 183 आर0टी0एक्ट0 के अधीन बेदखल योग्य होगें।

7. उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर ग्राम कराडियागुल्जी की विवादित आराजी पुराना ख0नं0 12 मि0 हाल ख0नं0 25, 27, 28 के संबंध में वादी का वाद आंशिक रूप से किये जाने योग्य है।

–:क्रियात्मक आदेशः–

उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर ग्राम कराडियागुल्जी तहसील अटरू की विवादित आराजी ख0नं0 25 रकबा 0.07 है0, ख0नं0 27 रकबा 0.06 है0 व ख0नं0 28 रकबा 0.38 है0 के संबंध में वादी का वाद आंशिक रूप से स्वीकार किया जाता है। प्रतिवादी क्रम 1 ता 3 को जरिये निषेधाज्ञा पाबन्द किया जाता है कि वे वादी के स्वामित्व की आराजी ख0नं0 29 रकबा 0.63 है0 पर वादी के शान्तीपूर्ण कब्जे काश्त में कोई हस्तक्षेप, यदि कोई है, नहीं करें। डिक्री पर्चा जारी हो।

निर्णय आज दिनांक **12.12.2022** को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(दिनेश कुमार मीणा)
उपखण्ड अधिकारी
अटरू जिला बारां

डिक्री मुकदमा इब्तदाई

(ओ0 20 रूल 7 जाप्ता दीवानी)

आज अदालत उप खण्ड अधिकारी अटरू जिला बारां (राज0)

बइजलास. श्री दिनेश कुमार मीणा (R.A.S.) उप खण्ड अधिकारी अटरू जिला बारां (राज0.)

प्रकरण सं0 111/2016 **दायर दिनांकः 10.06.2016**

उनवान

1. बिरधीलाल उम्र 65 वर्ष पुत्र मांगीलाल जाति बैरवा निवासी कराडिया गुल्जी तहसील अटरू जिला बारां (राज0)

वादी

बनाम

1. मथुरालाल उम्र 55 वर्ष पुत्र कवरया जाति चमार निवासी कराडिया गुल्जी
2. मोहनलाल उम्र 50 वर्ष पुत्र कवरया जाति चमार निवासी कराडिया गुल्जी तहसील अटरू जिला बारां राज0।
3. राजस्थान सरकार तर्ये तहसीलदार साहब अटरू तह0 अटरू जिला बारां (राज0)।

प्रतिवादीगण

वाद बाबत इन्द्राज दुरूश्ती

वाद अन्तर्गत धारा 88, 89, 183, 188 आर. टी. एक्ट.

उपस्थिति :–
वादीया :– विद्वान अभिभाषक श्री मोहनलाल सुमन
प्रतिवादी :– विद्वान अभिभाषक श्री विनोद प्रताप सिंह प्रतिवादी क्रम 1 व 2

मिनजानित मुदई रूबरू .....X.....

मिनजाबिन मुदालयह हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती है। विवादित आराजी ग्राम कराडियागुल्जी तहसील अटरू की विवादित आराजी ख0नं0 25 रकबा 0.07 है0, ख0नं0 27 रकबा 0.06 है0 व ख0नं0 28 रकबा 0.38 है0 के संबंध में वादी का वाद आंशिक रूप से स्वीकार किया जाता है। प्रतिवादी क्रम 1 ता 3 को जरिये निषेधाज्ञा पाबन्द किया जाता है कि वे वादी के स्वामित्व की आराजी ख0नं0 29 रकबा 0.63 है0 पर वादी के शान्तीपूर्ण कब्जे काश्त में कोई हस्तक्षेप, यदि कोई है, नहीं करें।

(दिनेश कुमार मीणा)
उप खण्ड अधिकारी
अटरू जिला बारां (राज0)

निज .....X..... मुबालिक .....X..... बाबत् खर्चा इस मुकदमें के सूद बशारह .....X.....

फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख अदायगी तक .....X..... अदा करूंगा।

मैरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत से आज दिनांक 12.12.2022 को जारी किया गया।

उप खण्ड अधिकारी
अटरू जिला बारां (राज0)

मुदई		मुदालयह	
स्टाम्प अर्जी दावा	खर्चा गवाहान	स्टाम्प अर्जी दावा	फीस कमिश्नर
स्टाम्प वकालत नाम	फीस कमिश्नर	स्टाम्प अर्जी	बाबत् इजराय हुकमनाम
स्टाम्प वजह सबूत	बाबत् इजराय हुकमनाम	महन्ताना वकील	मुत0
महन्ताना वकील	मुत0	खर्चा गवाहान	
मिजान		मिजान	

उप खण्ड अधिकारी
अटरू जिला बारां (राज0)